कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला बस्तर ,जगदलपुर (छ0ग0)

ई-मेल:- cgayushjagdalpur@gmail.com दूरभाष एवं फैक्स क्र.:-07782-227927

क्रमांक /स्था./2023 / जगदलपुर, दिनांक / 07 / 2023

// चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन //

संचालनालय,आयुर्वेद,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 23-2/1/स्था./अराज/2023/1675 नवा रायपुर, दिनांक 12मई 2023 के निर्देश एवं कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर (छ0ग0) के अनुमोदन उपरान्त जिला बस्तर के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों से विज्ञापन में उल्लेखित नियम व शर्ते अनुसार निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2023 सायंकाल 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है ।

(01)-रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र0	पदनाम (चतुर्थ श्रेणी संवर्ग)	वेतनमान	श्रेणीवार आरक्षित पदों का विवरण				कुल
			अजजा	अजा	अपिव	अनारक्षित	
1	आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई)	वेतन मेट्रिक्स में लेबल-3 (18000-56900)	05	0	01	02	08
2	औषधालय सेवक	वेतन मेट्रिक्स में लेबल-1 (15600-49400)	04 मुक्त 01 महिला	0	0	0	05
3	रसोईया	वेतन मेट्रिक्स में लेबल-1 (15600-49400)	01	0	0	0	01

(02)- शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं -

क्र0	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता
1	आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई)	1.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/ बोर्ड से हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण । 2.शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र से महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई) का न्यूनतम एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त ।
2	औषधालय सेवक	1.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवी परीक्षा उत्तीर्ण ।
3	रसोईया	1.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवी परीक्षा उत्तीर्ण ।

(03)- आयु सीमा :-

01. प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01.05.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्षो से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये शासन नियमानुसार कलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक को निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष छूट की पात्रता होगी । अन्य विशेष वर्गो में अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्षो से अधिक नही होगी ।
02. आयु की पुष्टि हेतु पांचवी/आठवी/हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

निरन्तर -01

(04)- वेतनमान :- चयनित उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ शासन वित विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर के वित निर्देश क्रमांक/372/260/वि./नि/चार/ 2020/नवा रायपुर अट्ल नगर दिनांक 28 जुलाई 2020 के अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 03 वर्षो की परीविक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिक्षाधीन अवधि पर नियुक्ति सेवक को नियमानुसार स्टायपेड देय होगा।

प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत।
द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत।
तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत।

किन्तु परीवीक्षा अवधि स्टायपेड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह की प्राप्त होते रहेंगे।

(05)- नियम व शर्ते :-

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो एवं मूल निवास का प्रमाण पत्र संलग्न करे ।
2. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करे ।
3. स्थानीय निवासी- आवेदक को सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी होना मान्य होगा।
4. महिला अभ्यार्थी आरक्षित हेतु पृथक-पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
5. विवाहित महिला उम्मीद्वारों को नाम उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न करे ।
6. शासकीय/अशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।
7. शासकीय /अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिवर्ष का 02अंक प्रदाय किया जावेगा अधिकतम 10 अंक से अधिक अंक नही दिया जावेगा ।
8. उम्मीद्वार का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आवेदन के निर्धारित स्थान पर चिपकाया जावे जो स्वप्रमाणित हो ।
9. वांछित समस्त प्रमाण पत्र, अंकसूची एवं अन्य संलग्नों की छाया प्रतियाँ स्वप्रमाणित होना चाहिये।
10. आवेदन दिनांक 20.07.2023 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट, अधिकृत कोरियर द्वारा पता-कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, कुम्हारपारा, माड़िया चौक, जगदलपुर, जिला बस्तर, पिन- 494001'' में अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिये। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों अथवा डाक व्यवस्था में हुए विलंब के कारण को मान्य नही किया जावेगा तथा ऐसे आवेदन अस्वीकार कर दिये जायेगें। सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे ।
11. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें ।
12. उम्मीद्वार का चयन छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा मापदण्डों के आधार पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों की मेरिट सूची के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जावेगा ।
13. आवेदित पद की चयन सूची जारी होने पर यदि पाया जाता है, कि आवेदक द्वारा चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी गई है, तो दोषी पाये जाने पर आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया किया जावेगा तथा उम्मीद्वारी/ चयन निरस्त की जा सकेगी ।

11कोई भी उम्मीद्वार जिसके दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001को या उसके पश्चात् हुआ हो किसी भी पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा । इस संबंध में सेवा में आने पर शपथ पत्र देना अनिवार्य हे ।

निरन्तर -02

12. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें ।

13 अर्हकारी परीक्षा में पूर्णाक /प्राप्तांक की जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है। तो जिस संस्था /स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है उनके प्रमुख से उक्त ग्रेड पूर्णाक ,प्राप्ताक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रामाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगे जिस पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

14. आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम बड़े व स्पष्ट अक्षर में लिखा जाकर रेखांकित (अंडरलाईन) करें ।

15.आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला बस्तर के सूचना फलक पर एवं कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर के Website- www.bastar.gov.in में देखे जा सकते है ।

16.किसी भी अभिलेख/कमियों के कारण अपात्र किये गये अभ्यार्थियों को दावा–आपत्ति के समय अभिलेख/कमियों की पूर्ति स्वीकार नही की जावेगी ।

17.उपरोक्त भर्ती माननीय उच्चतम न्यायालय नईदिल्ली के एस0एल0पी0(सी) क्रमांक 19668/2022 के आदेशो के अध्यधीन होगी ।

जिला आयुर्वेद अधिकारी
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक /स्था./2023 /775 जगदलपुर, दिनांक 3/7/2023

प्रतिलिपिः–

1. संचालक,आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़ रायपुर, इन्दावती भवन ,ब्लाक–1 तृतीय तल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला बस्तर, की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी (NIC) जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ कृपया जिले के बेबसाइट में उक्त विज्ञापन को अपलोड करने का कष्ट करगें।
4. संयुक्त संचालक जनसंपर्क बस्तर, जिला बस्तर कृप्या उक्त विज्ञापित को प्रदेश के दो समाचार पत्रों एवं जिले के तीन दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवाने का कष्ट करेंगे।
5. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जिला बस्तर जगदलपुर (छ0ग0)की ओर सूचनार्थ
6. कार्यालयीन फाईल कापी ।

जिला आयुर्वेद अधिकारी
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

प्रति,

जिला आयुर्वेद अधिकारी,
जगदलपुर, जिला बस्तर
कुम्हारपारा, माड़िया चौक,
पिन– 494001.

स्वप्रमाणित
नवीनतम
पासपोर्ट साईज
फोटो चस्पा करें

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक ....

आवेदित पद का नाम ....

01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :..

(अंग्रेजी में) :..

02. पिता/पति का नाम :..

03. जन्म तिथि (अंको में) :..

(शब्दो में) :..

04. लिंग– महिला .... पुरूष ....

05. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता – :..

....

....

(ब) स्थायी पता :..

....

....

06. जाति ....

07. संवर्ग (सामान्य/अपिव/अजा/अजजा) ....

(आरक्षित वर्ग सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
प्रमाण पत्र की सत्यापि छाया प्रति संलग्न करें)

08. छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र– हॉं/नही (यदि हॉं तो संलग्न करें)

09. दिनांक ....को आयु– .... वर्ष .... माह ....दिन

10. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित उच्चतम आयु सीमा में छूट चाहता है ?

हॉ/नही .... (यदि हॉ तो छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे ।

11. वैवाहिक स्तर एवं विवाह दिनांक (विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर) .... विवाह दिनांक ....

12. जीवित बच्चों की संख्या– .... जन्म तिथि ....

13. दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् जन्म लिये बच्चों की संख्या ....जन्म तिथि ....

14. जिला रोजगार कार्यालय का नाम ....
पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक ....

15. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	वि.वि./बोर्ड/ संस्था का नाम/ अन्य	उत्तीण वर्ष	पूर्णाक	प्राप्तांक	श्रेणी
01	02	03	04	05	06	07
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

16. अर्हकारी परीक्षा में पूर्णाक /प्राप्तांक की जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है। तो जिस संस्था /स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है उनके प्रमुख से उक्त ग्रेड पूर्णाक ,प्राप्ताक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रामाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगे जिस पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

17. चयन के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज /प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यार्थी को बुलावाया जा सकेगा सि पर चयन समिति का निर्णय अंमि होगा ।

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1...2...

3...4...

5...6...

7...8...

9...10...